



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श10)

(सं0 पटना 866) पटना, बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2023

अधिसूचना संख्या 16/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ०-349 दिनांक 19 अक्टूबर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम -12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 560, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- खंड (i) में, शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों " या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(क) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।";
- अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्, -

“(घ) “कंपनी” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।”

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-17)16)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

19 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 349 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)16)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 19th October 2023

Notification No. 16/2023- State Tax (Rate)

S.O. 349 Dated 19 October 2023— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 17/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 560, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i.) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;

(ii.) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;

(iii.) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -

“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)16)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 866-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>